परिपत्र सं0. 106/25/2019-जीएसटी

सीबीईसी-20/16/04/2018-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी नीति स्कंध
****

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी)

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / सीमा शुल्क आयुक्त (सभी)

प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक (सभी)

प्रधान सहसहए, सीबीआईसी

महोदया / महोदय,

विषय: - अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रस्थान क्षेत्र में, आव्रजन काउंटरों से परे, स्थापित खुदरा दुकानों द्वारा स्वदेशी वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को विदेशी मुद्रा के बदले की गयी आपूर्ति के संबंध में, उन वस्तुओं की आवक आपूर्ति के समय भुगतान किये गये करों की वापसी संदर्भ में ।

सरकार ने अधिसूचना सं0. 11/2019-केन्द्रीय कर (रेट), 10/2019-एकीकृत कर (रेट) एंव 11/2019-संघ राज्य कर (रेट) सभी दिनांक 29-06-2019 के तहत केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (एतश्मिनपश्चात् 'सीजीएसटी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 55 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है कि आव्रजन काउंटरों से परे

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित खुदरा दुकानों को विदेश जाने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक(एतश्मिनपश्चात् "पात्र यात्रियों" के रूप में संदर्भित) अर्थात् ऐसे व्यक्ति, जो वैध गैर-आप्रवासी प्रयोजनों के लिए छः माह से अधिक भारत में निवास न करने वाले सामान्यत: भारत में न रहने वाले व्यक्ति के लिए विदेशी मुद्रा के बदले स्वदेशी माल की आपूर्ति के उद्देश्य से उनके द्वारा प्राप्त स्वदेशी वस्तुओं की आवक आपूर्ति पर उनके द्वारा भुगतान किए गए सभी लागू केंद्रीय कर, एकीकृत कर, संघ राज्य कर और मुआवजा उपकर के रिफंड का दावा करने का अधिकार होगा । संबंधित राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम (एतश्मिनपश्चात् "एसजीएसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) या संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम (एतश्मिनपश्चात् "यूटीजीएसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत लागू राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कर के रिफंड को भी प्रदान किए जाने हेतु राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ऐसी ही अधिसूचनाओं को जारी किया गया है ।

2. रिफंड दावों के त्वरित प्रसंस्करण को सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से, बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तरवर्ती पैरों में ऐसे रिफंड दावों को फाइल करने और संसाधित करने की शर्तों, तरीकों और प्रक्रिया को एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है ।

3. **ड्यूटी फ्री दुकानें और ड्यूटी पेड दुकानें: -** यह माना गया है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर, दो प्रकार की खुदरा दुकानें हैं- 'शुल्क मुक्त दुकानें ' (एतश्मिनपश्चात् "डीएफएस" के रूप में संदर्भित) जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58क (एतश्मिनपश्चात् "सीमा शुल्क अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत लाइसेंस्ड एक वेयरहाउस से प्राप्त माल के लिए बिक्री के बिंदु हैं और शुल्क 'ड्यूटी पेड दुकानें' (एतश्मिनपश्चात् "डीपीएस" के रूप में संदर्भित) जो स्वदेशी माल लागू कर भुगतान करके लाया गया है, उसे बेचते हैं ।

4. **आयातित/भण्डारित वस्तुओं की प्राप्ति और आपूर्ति: -** आयातित/भंडारित माल की खरीद की प्रक्रिया सीमा शुल्क अधिनियम में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है । सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट प्रक्रिया और लागू नियमों का अनुपालन किया जाना ऐसे माल की प्राप्ति और आपूर्ति के लिए आवश्यक हैं ।

5. **स्वदेशी माल की खरीद: -** जीएसटी पद्धति के अंतर्गत डीएफएस या डीपीएस द्वारा बिक्री के लिए स्वदेशी सामान की खरीद की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है । अतः, सभी स्वदेशी सामानों को घरेलू बाजार से खरीदे जाने पर लागू कर के भुगतान पश्चात ही डीएफएस या डीपीएस द्वारा खरीदना होगा।

6. **पात्र यात्रियों के लिए इमिग्रेशन काउंटरों (एतश्मिनपश्चात् "खुदरा दुकानों" के रूप में संदर्भित) से परे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित डीएफएस या डीपीएस द्वारा स्वदेशी सामान की आपूर्ति :** किसी पात्र यात्री को खुदरा दुकानों द्वारा घरेलू बाजार से खरीदे जाने वाले स्वदेशी सामानों की बिक्री जीएसटी कानून के अंतर्गत एक "आपूर्ति" है और एकीकृत कर की वसूली के अधीन है, लेकिन इसे अधिसूचना सं0.11/2019-एकीकृत कर (रेट) एंव 1/2019 क्षतिपूर्ति उपकर (रेट) दोनों दिनांक 29-06-2019 के द्वारा छूट दी गई है । अतः, खुदरा दुकानें पात्र यात्री से कोई कर एकत्र किए बिना इस तरह के स्वदेशी सामानों की आपूर्ति करेंगी और अनुवर्ती पैराग्राफ में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

7. **रिफंड के लिए कौन पात्र है:**

7.1 **सीजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण**: रिफंड के लिए आवेदन करने वाली खुदरा दुकानों को सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और उनके पास वैध जीएसटीआईएन होना चाहिए ।

7.2 **खुदरा दुकानों की अवस्थिति**: इस तरह की खुदरा दुकानें इमिग्रेशन काउंटरों से परे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी और ऐसे सभी लागू केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, केंद्र शासित प्रदेश कर और मुआवजे के उपकर के भुगतान का वापसी का दावा करने की हकदार होंगी, जो पात्र यात्रियों को इस तरह के माल की आपूर्ति के लिए प्राप्त स्वदेशी वस्तुओं की आवक आपूर्ति पर भुगतान किए जाते हैं ।

8. **रिफंड के लिए आवेदन किए जाने की प्रक्रिया**:

8.1. **रिकॉर्ड्स का रखरखाव:** लागू कर भुगतान करके लाये गये स्वदेशी माल के संबंध में खुदरा दुकानों द्वारा पात्र यात्रियों को उनकी आपूर्ति संबंधी रिकॉर्डस इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुबंध क के अनुसार रखी जाएगी । ऐसी खुदरा दुकानों द्वारा इस डेटा को हर समय अद्यतन, सटीक और पूर्ण रखा जाएगा और जो किसी भी समय केंद्रीय कर के उचित अधिकारी के निरीक्षण / सत्यापन के लिए उपलब्ध होगा । इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में लेखा-सत्यापन की विशेषता को समाविष्ट करना चाहिए, जिसका अर्थ है एक सुरक्षित, कंप्यूटर जनित, समय अंकित रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के निर्माण, संशोधन या विलोपन से संबंधित घटनाओं के पुनर्निर्माण की अनुमति देता है और रिकॉर्ड या प्रणाली स्तर पर, प्रणाली तक पहुंचने या रिकॉर्ड को हटाने या संशोधित करने के प्रयास जैसी अभिक्रियाओं को शामिल करता है ।

8.2. **चालान-आधारित रिफंड:** यह स्पष्ट किया गया है कि खुदरा दुकानों को दिया जाने वाला रिफंड संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण नहीं है अपितु उनके द्वारा प्राप्त स्वदेशी वस्तुओं की आवक आपूर्ति के इन्वाइस के आधार पर रिफंड है । जैसा कि ऊपर्युक्त पैरा **6** में बताया गया है, पात्र यात्रियों को ऐसी खुदरा दुकानों द्वारा की गई आपूर्ति को अधिसूचना क्रमांक 11/2019-एकीकृत कर (रेट) एंव 1/2019 क्षतिपूर्ति उपकर (रेट) दोनों दिनांक 29-06-2019 द्वारा छूट दी गई है और इसलिए ऐसी खुदरा दुकानें ऐसी आवक आपूर्ति पर दिए गए करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र नहीं होंगी तथा इसे सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत बनाए

गए नियमों के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार उलट देना होगा । यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर का कोई भी रिफंड, यदि कोई हो, खुदरा दुकानों को नहीं दिया जाएगा ।

8.3. ऐसी खुदरा दुकानों द्वारा करों के भुगतान के बिना खुदरा दुकानों द्वारा पात्र यात्री को की गई किसी भी आपूर्ति के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों/घोषणाओं की आवश्यकता होगी:

(क) पासपोर्ट का विवरण (पासपोर्ट रीडिंग मशीन के माध्यम से);

(ख) बोर्डिंग पास का विवरण (बारकोड स्कैनिंग रीडिंग डिवाइस के माध्यम से);

(ग) अनुबंध ख के अनुसार एक यात्री घोषणा;

(घ) चालान की एक प्रति जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाती हो कि रिटेल आउटलेट द्वारा पात्र यात्री से कोई कर नहीं लिया गया था ।

8.4. खुदरा दुकानों को एक सूचना प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक घरेलू करों के भुगतान के बिना सामान खरीदने के लिए पात्र हैं ।

8.5. **रिफंड दावों की मैन्युअल फाइलिंग**: अधिसूचना सं0. 31/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 28-06-2019 के द्वारा यथा समावेशित, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 95क (एतश्मिनपश्चात् 'सीजीएसटी नियमावली' के रूप में संदर्भित) के अनुसार, खुदरा दुकानों को फार्म **जीएसटीआर-3ख** में रिटर्न प्रस्तुत किए जाने की आवृत्ति के आधार पर मासिक या तिमाही आधार पर रिफंड के लिए आवेदन करना अपेक्षित है । जब तक रिफंड का दावा फाइल किए जाने की ऑनलाइन उपयोगिता आम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हो जाती, उचित क्षेत्राधिकार अधिकारी को मानवीय रूप से अधिसूचना सं0. 31/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 28-06-2019 के द्वारा यथा समावेशित, ये खुदरा दुकाने फार्म जीएसटी **आरएफडी-10ख** में एक आवेदन फाइल करके रिफंड के लिए आवेदन करेंगे । उक्त रिफंड आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होगा:

(i) एक वचन-पत्र द्वारा यह स्पष्ट किए जाते हुए कि स्वदेशी वस्तुओं जिन पर रिफंड का दावा किया जा रहा है, को ऐसी खुदरा दुकानों द्वारा प्राप्त किया गया है;

(ii) एक वचन-पत्र द्वारा यह स्पष्ट किए जाते हुए कि स्वदेशी वस्तुओं जिन पर रिफंड का दावा किया जा रहा है, को खुदरा दुकानों द्वारा पात्र यात्रियों को बेचा गया है;

(iii) रिफंड दावे में शामिल अवधि के लिए खुदरा दुकानों द्वारा फार्म **जीएसटीआर** -3**ख** में दिए गए वैध विवरण की प्रतियां;

(iv) रिफंड के दावे में शामिल अवधि के लिए फार्म **जीएसटीआर-2क** की प्रतियां; और

(v) चालान की सत्यापित हार्ड कॉपी, जिस पर रिफंड का दावा किया जाता है, लेकिन जो फार्म **जीएसआईआर**-2**क** में परिलक्षित नहीं होती हैं, की प्रतियां ।

9. **रिफंड दावे का प्रसंस्करण और अनुमोदन :**

9.1. **फार्म जीएसटी आरएफडी-10ख** में पूरा आवेदन प्राप्त होने पर, फार्म **जीएसटी आरएफडी-02** में आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उचित अधिकारी द्वारा मैन्युअल रूप से एक पावती जारी की जाएगी । किसी भी कमी या किसी भी अतिरिक्त जानकारी के मामले में आवश्यक है, तो इसे रिफंड आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उचित अधिकारी द्वारा फार्म **जीएसटी आरएफडी-03** में मानवीय रूप से एक कमी ज्ञापन जारी कर खुदरा दुकानों को सूचित किया जाएगा । एक रिफंड आवेदन के लिए केवल एक कमी ज्ञापन को जो सभी प्रकार से पूरा हो, जारी किया जाना चाहिए ।

9.2. उचित अधिकारी आम पोर्टल पर जीएसटीआईएन विवरण को यह सुनिश्चित किए जाने हेतु कि खुदरा दुकानों द्वारा फार्म **जीएसटीआर- 3ख** में रिटर्न दाखिल किया गया है, वैध करेगा । उचित अधिकारी फार्म **आरएफडी-10ख**, फार्म **जीएसटीआर-3ख** और फार्म **जीएसटीआर-2क** में निहित विवरणों की जांच कर सकता है । उचित अधिकारी उनके द्वारा

प्राप्त आपूर्ति जिसके संबंध में खुदरा दुकानों द्वारा रिफंड का दावा किया गया है के लेखा के प्रमाण के रूप में, फार्म **जीएसटीआर-2क** पर भरोसा कर सकते हैं । सामान्यत:, अधिकारियों को अनुबंध क में निहित चालान या विवरण की हार्ड कॉपी के लिए कॉल नहीं करने की सलाह दी जाती है । जैसा कि उपर्युक्त पैरा 8.5 के खंड (v) में स्पष्ट किया गया है, यह दोहराया गया है कि खुदरा दुकानों को केवल उन आवक आपूर्ति-चालानों की हार्ड कॉपी जमा करनी अपेक्षित होगी, जिन्हें फार्म **जीएसटीआर-2क** में परिलक्षित नहीं किया गया है ।

9.3. उचित अधिकारी प्रत्येक शीर्ष अर्थात् केंद्रीय कर / राज्य कर / संघ राज्य कर / एकीकृत कर / मुआवजा उपकर के लिए फार्म जीएसटी आरएफडी**-05** में मानवीय भुगतान की सलाह के साथ-साथ फार्म जीएसटी आरएफडी**-06** में मानवीय रूप से रिफंड आदेश जारी करेगा । खुदरा दुकानों के बैंक खाते के विवरण सहित स्वीकृत रिफंड की राशि मानवीय रूप से पीएफएमएस प्रणाली में क्षेत्राधिकार प्रभाग के डीडीओ द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और उक्त राशि के वितरण के लिए अनुमोदन आदेश की एक हस्ताक्षरित प्रति पीएओ को भेजी जाएगी ।

9.4. जहां सरकार को कर का भुगतान किए बिना चालान के संबंध में कोई भी रिफंड किया गया है या जहां किसी पात्र यात्री को इस तरह के माल की आपूर्ति नहीं की गई थी, तो ऐसे रिफंड की गई राशि को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74, जैसा भी मामला हो, में निहित प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित वसूल किया जाएगा ।

9.5. यह स्पष्ट किया गया है कि खुदरा दुकानें केवल क्षेत्राधिकार केंद्रीय कर/राज्य कर प्राधिकरण के साथ रिफंड के लिए आवेदन करेंगे, **तथापि**, केंद्रीय कर / एकीकृत कर / क्षतिपूर्ति उपकर के संबंध में स्वीकृत रिफंड राशि का भुगतान केंद्रीय कर प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर के संबंध में स्वीकृत रिफंड राशि का भुगतान राज्य कर/संघ राज्य कर कर प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा । अत:, यह आवश्यक हो जाता है कि केंद्रीय कर के उचित अधिकारी द्वारा जारी किया गया रिफंड आदेश, शेष स्वीकृत रिफंड राशि के

वितरण के उद्देश्य से सात दिनों के भीतर संबंधित समकक्ष कर प्राधिकरण को विधिवत संप्रेषित कर दिया जाए । परिपत्र संख्या **24/24/2017-**जीएसटी दिनांक **21** दिसंबर **2017** के पैरा **6.0** में उल्लिखित प्रक्रिया का इस संबंध में पालन किया जाना चाहिए ।

10. यह योजना दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी होगी और उक्त तिथि के पश्चात् पात्र यात्रियों को की गई सभी आपूर्ति के संबंध में लागू होगी । अन्य शब्दों में, खुदरा दुकानें दिनांक 01.07.2019 से पहले भी प्राप्त किए गए स्वदेशी सामानों की आवक आपूर्ति पर अदा किए गए करों के रिफंड का दावा किए जाने हेतु पात्र होंगे, जब तक कि सीजीएसटी नियमों के नियम 95क और इस परिपत्र में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हो ।

11. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की संदर्भों के प्रचार हेतु उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं ।

12. उपर्युक्त अनुदेशों के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, को बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ।

(उपेन्द्र गुप्ता)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)

अनुबंध-क

खुदरा दुकान द्वारा बनाए रखे जाना वाला फार्म

परिपत्र सं. 106/25/2019-जीएसटी दिनांक 29.06.2019 के अनुसार)

हवाई अड्डा:

जीएसटीआईएन संख्या:

आवक आपूर्ति										**संबंधित बहिर्गामी आपूर्ति (कर प्रभारित नहीं)**												
आपूर्तिकर्ता का नाम	आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	चालान सं0	तिथि	एचएसएन कोड व मात्रा	कराधान मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य / यूटी कर	उपकर	यात्री का नाम	उड़ान सं0 / तिथि	पासपोर्ट सं0	जारी किए जाने की तिथि	आगमन की उड़ान/तिथि	कर चालान सं0/तिथि	एचएसएन कोड	मात्रा	कराधान मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य / यूटी कर	उपकर

अनुबंध-ख

<u>किसी पात्र यात्री द्वारा कर मुक्त माल की खरीद के लिए घोषणा</u>

मैं (<u>नाम   </u>), (<u>देश का नाम</u>) में जारी किए गए पासपोर्ट सं0.:_____________________ का धारक यह घोषणा करता हूँ कि मैं वर्तमान में __________________, _____________________ (शहर / देश) का निवासी हूं और ___________ (तिथि) को उड़ान _________ से भारत आया हूं। इसके अलावा मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने चालान सं0___________ दिनांक ________ के द्वारा मैसर्स ______ (खुदरा दुकान का नाम) से कर मुक्त माल खरीदा है ।

____

(हस्ताक्षर)

____

(नाम)

____

ईमेल

तिथि:

स्थान: